न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 67/2022

वादी :-

1. अनाराम पुत्र प्रभुराम जाति सीरवी निवासी गहलोतो का गौरवा उचियार्डा बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. प्रकाशचन्द्र पुत्र भंवरलाल
2. मोहनलाल पुत्र भंवरलाल जातियान सीरवी (मुलेवा) निवासी बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. केशाराम पुत्र प्रभुराम
4. भंवरलाल पुत्र प्रभुराम
5. पानीदेवी पुत्री प्रभुराम
6. विद्यादेवी पुत्री प्रभुराम
7. गणकीदेवी पुत्री प्रभुराम
8. लीलादेवी पुत्री प्रभुराम जातियान सीरवी निवासी गहलोतों का गौरवा उचियार्डा बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः-वादी - श्री बी आर विश्नोई अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 1 व 2- श्री हनुमानराम सीरवी अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 3 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 9-सरकारी पेरोकार।

निर्णय

दिनांकः- 01/09/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 से 8 स्व. प्रभुराम के वारिसान है जबकि प्रतिवादी संख्या 9 को भूमिधारी होनी से तरदीदी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। जिससे विधि प्रावधानों के तहत एक विधिक नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी.पी. सी. का पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है जिसके डाकखाने की रसीद बाद पत्र के साथ संलग्न है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 8 की वंशावली का वंश वृक्ष पृथक से वाद पत्र के साथ वादी द्वारा वाद पत्र के साथ सलग्न कर दिया है, जिसके मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के पूर्वज स्व रावतराम जी थे, जिनके दो जायन्दा पुत्र क्रमशः लिछमणराम व प्रभुराम रहे। स्व. लिछमणराम पुत्र रावतराम कई वर्षो पूर्व फौत हो चुके है, जिन्होने अपने जीवनकाल में बतौर सहखातेदार के कस्बा बिलाड़ा के चक संख्या 2 खसरा नम्बर 174 की कृषि भूमि अपने हक हिस्से की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये बैचान रजिस्ट्री सप्रतिफल निष्पादित करवायी गयी, जिससे उक्त आराजी खसरा नम्बर 174 बाबत् म्यूटेशन नं. 234 के जरिये विक्रेता लिछमणराम के स्थान पर क्रेता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया किन्तु उक्त आराजी के सहखातेदार समकालीन प्रभुराम पुत्र रावतराम का नाम भी लिपिकीय त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया, जिसकी जानकारी वादी को हाल ही में स्व. प्रभुराम वल्द स्व. रावतराम के निधन हो जाने के पश्चात् हुई है। जिसके लिए वादी की ओर से घोषणा खातेदारी की डिक्री प्राप्ति हेतु उक्त वाद पत्र न्यायालय श्री के समक्ष पेश करना पड़ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 8 स्व. प्रभुराम पुत्र रावतराम के जायन्दा वारिसान है, जो हिन्दू विधि से सम्बंधित होने से हिन्दू उतराधिकार के तहत चक नम्बर 2 के खसरा नम्बर 174 में

स्व. प्रभुराम के तमाम खातेदारी अधिकार उनके हक व हिस्से तक निहित हो चुके है। उक्त चक नम्बर 2 के खसरा नम्बर 174 को उक्त वाद पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी में से अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि स्व. लिछमणराम ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जरिये बैचान रजिस्ट्री के कर दी है। जिसके नाम का अमल दरामद विक्रेता लिछमणराम के स्थान पर क्रेतागण क्रमशः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम लाजमी था, किन्तु प्रतिवादी संख्या 9 व उसके अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों ने लिपिकीय त्रुटिवश वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के पिता प्रभुराम का नाम भी राजस्व रेकर्ड से उनके हक हिस्से सहित विधि विरूद्ध तरीके से हटा दिया गया, जिसकी जानकारी वादी को होने पर वादी ने सम्बंधित हल्का पटवारी से सम्पर्क किया एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 8 का नाम पुनः राजस्व रेकर्ड में स्व. प्रभुराम के वारिसान की हैसियत से अमल दरामद करवाने हेतु समझाईश का प्रयास किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त कार्यवाही में सहमति देने से साफ इन्कार कर दिया एवं चक संख्या 2 बिलाड़ा मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी को प्रतिवादी संख्या 3 से 8 की मौजूदगी में एलानिया धमकी दी कि राजस्व रेकर्ड में वादी वगैरा के नाम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम बतौर खातेदार लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज हो चुका है। जिस पर वादी को उसके हक हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि से जबरन बेदखल कर उक्त आराजी को किसी अन्य अजनबी क्रेता को भविष्य में बैचान कर देंगे, जिसके लिए वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश करना पड़ रहा है। वादी को वादकारण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व अन्य के दिनांक 02.06.2022 चक नम्बर 2 में बेदखली की एलानिया धमकी देने पर उत्पन्न होने पर उक्त वाद पत्र बाबत् जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय श्री के समक्ष पेश है। वादग्रस्त आराजी के चक नम्बर 2 बिलाड़ा की सरहद में स्थित होने से उक्त वाद पत्र को सुनकर निस्तारण करने का न्यायालय श्री को पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अन्त में वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध घोषणा खातेदारी की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे कि कस्बा बिलाड़ा के चक नम्बर 2 की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 174 रकबा 2.7102 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ – साथ बहिस्सा बराबर सहखातेदार काश्तकार है। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व अन्य के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे कि कस्बा बिलाड़ा के चक नम्बर 2 में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 174 के कुल रकबे में वादी के हक व हिस्से की भूमि में उक्त कृषि कार्य में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावे। अन्य अनुतोष जो वादी पाने का अधिकारी हो वादी के पक्ष में डिक्री सादिर फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 से 8 को बाद तामिल उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 3 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से वकील हनुमानराम सीरवी द्वारा वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद पत्र के पद सं. 2 वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 से

8 की वंशावली से संबंधित है। एवं वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार स्व. रावतराम के दोनों पुत्र स्व. लक्ष्मणराम व स्व. प्रभुराम पिसरान रावतराम थे, जिनका हक व हिस्सा वादग्रस्त आराजी में बराबर का रहा है। किन्तु स्व. लक्ष्मणराम पुत्र रावतराम ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी में से अपना हक व हिस्सा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में जरिये विक्रय विलेख के दिनांक 10.02.1987 को निष्पादित करवा दिया गया एवं कस्बा बिलाडा के चक सं0 2 में स्थित, वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 174 क्षेत्रफल 16 बीघा 15 बिस्वा में से 1/6 हिस्से की कृषि भूमि जो स्व. लक्ष्मणराम पुत्र रावतराम के हक हिस्से की 1/6 हिस्सा दिनांक 10.02.1987 से प्रतिवादी सं. 1 व 2 में निहित हो चुका है। किन्तु स्व. प्रभुराम पुत्र रावतराम का 1/6 हिस्से में प्रतिवादी सं. 1 व 2 का कोई हक हिस्सा नही है किन्तु लिपिकीय त्रुटिवश राजस्व कर्मचारियों की भूल से तथाकथित बैचान रजिस्ट्री दिनांक 10.02.1987 की आड में वादग्रस्त आराजी का म्यूटेशन प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में सम्पूर्ण रूप से स्वीकृत कर दिया गया। जबकि राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में वादी एवं उसके भाईयों व बहनों क्रमश प्रतिवादी सं. 3 से 8 एवं वादी का नाम भी बहिस्सा बराबर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ साथ दर्ज होना आवश्यक है जो एक लिपिकीय भूल है जिसे दूरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कोई आपति नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 से 8 स्व. प्रभुराम पुत्र रावतराम के वारिसान है एवं वाद पत्र के साथ संलग्न वादी की वंशावली का वंश वृक्ष सही एवं सत्य है। वादी के ताउ स्व. लक्ष्मणराम ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी में से अपना हक व हिस्सा जरिये बैचान रजिस्ट्री के सप्रतिफल के प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बैचान रजिस्ट्री दिनांक 10.02.1987 में निष्पादन से कर दिया किन्तु वादी के पिता स्व. प्रभुराम पुत्र रावतराम ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कभी भी वादग्रस्त आराजी में से हक व हिस्से का हस्तान्तरण नहीं किया, जिससे भी विचाराधीन वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः जवाबदावा मय शपथ पत्र प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत कर न्यायालय श्री से निवेदन है कि विचाराधीन वाद पत्र स्व. प्रभुराम पुत्र स्व. रावतराम के वारिसान के पक्ष में/वादी के पक्ष में स्वीकार कर घोषणा खातेदारी की डिक्री एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी सं. 9 सरकारी अधिकार प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। वादी का वाद का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वादी साक्ष्य मुकर्रर की गई। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र अन्नाराम पुत्र प्रभुराम का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 वादग्रस्त आराजी के खाता स. 106, प्रदर्श 2 राजस्व रेकर्ड की प्रतियें मय म्यूटेशन प्रति, प्रदर्श 3 प्रतिवादी सं. 9 को का नोटिस धारा 80 सीपीसी, प्रदर्श 4 रवाने की रसीदें, आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक 2 के खसरा नंबर 174 के पूर्व में खातेदार गजाराम पुत्र मोतीराम हिस्सा 2/3, रावतराम पुत्र रहींगराम हिस्सा 1/3 कौम सीरवी के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था खातेदार रावतराम पुत्र रहींगराम के फौत होने पर रावतराम के वारिसान का नाम जरिये म्यूटेशन सं. 213 के राजस्व रेकर्ड में

इन्द्राज हुआ, जिसकी पुष्टि राजस्व जमाबंदी संवत् 2042-2045 में अंकित इन्द्राज की गई। उसके पश्चात राजस्व जमाबंदी में खातेदार गजाराम पुत्र मोतीराम हिस्सा 2/3 व लिछमणराम, प्रभुराम पिसरान रावतराम हिस्सा 1/3 बतौर रेकर्डेड खातेदार इन्द्राज थे। खातेदार लिछमनराम पुत्र रावतराम जाति सीरवी गेहलोत द्वारा मोहनलाल, प्रकाशचन्द पिसरान भंवरलाल सीरवी निवासी उचियार्डा के पक्ष में राजस्व ग्राम बिलाडा चक 2 के खसरा नंबर 174 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा में से अपना हिस्सा 1/6 का बैचान जरिये रजिस्ट्री दिनांक 10.2.1987 से किया। खातेदार लिछमराम के स्थान पर क्रेता मोहनलाल, प्रकाशचन्द पिसरान भंवरलाल का नाम जरिये नामा.सं. 234 से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ, उक्त कथन की पुष्टि हेतु नामा.सं. 234 की प्रति संलग्न है। नामा.सं. 277 के खसरा नंबर 274 में खातेदार भोलाराम, पेमाराम पि. गजाराम 2/3, मोहनलाल, प्रकाशचन्द पि. भंवरलाल 1/3 कौम सीरवी मूलेवा सा.देह खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में इन्दाज थे किन्तु उक्त नामा. सं0 277 में यह विचारणीय बिन्दु है कि खसरा नंबर 274 में खातेदार लिछमनराम द्वारा अपना हिस्सा का बैचान किया गया था जबकि खातेदार प्रभुराम पुत्र रावतराम द्वारा अपने हिस्से का बैचान किसी को भी नहीं किया गया। वादी या प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया जिससे यह प्रतीत होता हो कि खातेदार प्रभुराम द्वारा भी खसरा नंबर 274 में से अपना हिस्सा का बैचान किया गया हो। प्रथम दृष्टया नामा. सं. 277 के खसरा नंबर 274 में से खातेदार प्रभुराम पुत्र रावतराम का नाम राजस्व रेकर्ड से हटना लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा भी वादी के राजस्व वाद को स्वीकार कर वादी के पक्ष में डिक्री जारी करने हेतु सहमति प्रदान की है। अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा वाद को स्वीकार किये जाने के कारण उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम बिलाडा चक 2 के खसरा नंबर 274 रकबा 2.7102 हेक्टयर कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ बराबर हिस्सा में खातेदार प्रभुराम पुत्र रावतराम के वारिसानों की जांच कर जांच उपरान्त नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 01/10/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-
अनाराम प्रकाशचन्द

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व वाद संख्या :- 67/2022

निर्णय **दिनांक** :- 01/10/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री बी आर विश्नोई अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से श्री हनुमानराम अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 3 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी 9 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम बिलाडा चक 2 के खसरा नंबर 274 रकबा 2.7102 हेक्टयर कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ बराबर हिस्सा में खातेदार प्रभुराम पुत्र रावतराम के वारिसानों की जांच कर जांच उपरान्त नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

तीज - मुर्सलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रुपया	पैसे	मुदायराह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा